न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 790 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भगवानदास पुत्र नखताराम जाति सुथार निवासी गांधी नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 केकुदेवी पत्नी नखताराम 2 घनश्याम 3 रामेष्वर पिसरान वालाराम जाति सुथार निवासी बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 4 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131ए 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री भूरचंद जांगीड़, वकील प्रार्थी पक्ष।
2 श्री हितेश गोयल, वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03।

आदेश

दिनांक 02/06/2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा गेहूं पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1027 / 351 रकबा 0.2060 हैक्टैयर भूमि की आई हुई है। प्रार्थी के खेत के पास अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा गेहूं पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर खेत खसरा संख्या 761 / 351 रकबा 2.1610 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खेतों की बीच तरमीम हुई परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है। राजस्व अधिकारियों द्वारा तरमीम करते समय मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किये बिना गलत तरमीम कर दी गई, जो गलत है। उक्त गलत तरमीम के कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गेहूं पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1027 / 351 रकबा 0.2060 हैक्टैयर भूमि की तरमीम वास्तविक भौतिक कब्जा काश्त अनुसार परिषिष्ठ 'अ' के अनुसार करवाने का आदेष फरमावें। प्रार्थी ने मौके के अनुसार आवेदन के संलग्न परिशिष्ठ 'अ' अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है, परन्तु लठ्ठा ट्रेस में जो तरमीम की गई है जो अशुद्ध है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है। तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के प्रस्तुत पत्रांक भूअ / 2025 / 1191 दिनांक 09.05.2025 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा गेहूं पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1027 / 351 रकबा 0.2060 हैक्टैयर भूमि व खसरा संख्या 761 / 351 रकबा 2.1610 हैक्टेयर भूमि की तरमीम संलग्न नक्षा परिषिष्ठि 'ए' के अनुसार है।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उक्त खसरा संख्या 1042/351 जरियो नामान्तकरण संख्या 996 दिनांक 25.02.2016 नगर विकास न्यास के नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण की पुष्त पर अंकित तरमीम अनुसार तथा मौके पर खसरा संख्या 1042/351 में निर्मित गैस गौदाम अनुसार परिशिष्ठ 'ब' के मुताबिक है। अतः ग्राम गेहू पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसर संख्या 1027/351 व 1042/351 की तरमीम संलग्न नक्षा परिषिष्ठ 'बी' के अनुसार शुद्ध किये जाने की अभिषंषा की है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर ग्राम गेहू पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसर संख्या 1027/351 व 1042/351 की वर्तमान तरमीम अशुद्ध होने से उसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उभय पक्षों ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "बी" के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम गेहू पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसर संख्या 1027/351 व 1042/351 भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ नक्शा परिशिष्ठ "बी" में दर्शाये अनुसार दुरूस्त की जाती है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "बी" आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 02/06/2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर